न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा

जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– जोगेन्द्र सिंह , आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 26/2021 राजस्व वाद

सुरेन्द्रसिंह गोदपुत्र मोहनसिंह राजपूत निवासी सबलपुरा तहसील–करेड़ा , जिला–भीलवाड़ा

–वादी

बनाम

1. विजेन्द्रसिंह आत्मज प्रेमसिंह राजपूत निवासी सबलपुरा तहसील–करेड़ा , जिला–भीलवाड़ा
2. महावीरसिंह पुत्र प्रेमसिंह राजपूत निवासी सबलपुरा तहसील–करेड़ा , जिला–भीलवाड़ा
3. शैतानसिंह पुत्र प्रेमसिंह राजपूत निवासी सबलपुरा तहसील– करेड़ा , जिला–भीलवाड़ा
4. बन्नेसिंह पुत्र प्रेमसिंह राजपूत निवासी सबलपुरा तहसील– करेड़ा , जिला–भीलवाड़ा
5. मु• पारसकंवर बेवा प्रेमसिंह राजपूत निवासी सबलपुरा तहसील– करेड़ा , जिला–भीलवाड़ा (मृतक नाम डिलिट)
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार करेड़ा

–प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 तरेपन रा•टि•ए•
वाद बाबत् विभाजन आराजियात

उपस्थित :–

1. श्री विपुल बापना ———अधिवक्ता वादी
2. श्री विनोद कुमार तिवाडी ———अधिवक्ता प्रतिवादी सं.1
3. एकपक्षीय– ———प्रतिवादी सं. 2 से 4
4. पेरोकार सरकार ———प्रतिवादी सं. 06

:: निर्णय :: दिनांक– 16/12/2024

वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद सबलपुरा पटवार क्षैत्र रामपुरिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 के नाम पर शामलाती खाते में आराजी नम्बर 6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 , 182 ,183 ,184 ,185 ,187 ,188 ,209 ,210 ,211, 212 ,213 ,214 ,215 ,216 ,601 ,602 कुल किता 24 रकबा 72 बीघा 07 बिस्वा भूमि दर्ज रेकार्ड है जिसमें वादी का 7/12 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 1 से 5 का प्रत्येक का 1/12 हक हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है । उक्त आराजियात संयुक्त खाते में रहने से इस भूमि में फसल काश्त करने , घास काटने और राजस्व लगान जमा कराने में एवं भूमि को विकसित करने में भारी कठिनाई आती है और सहखातेदारान के मध्य विवाद बना रहता है जिससे हिस्से व कब्जे अनुसार विभाजन करने हेतु वादपत्र प्रस्तुत कर विधिवत विभाजन की इस्तदुआ की।

वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 02 से 05 की ओर से कोई उपस्थित नही होने से उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल मे लायी गयी तथा प्रतिवादी संख्या 01 मय अधिवक्ता उपस्थित हुआ । प्रकरण मे राजस्व कैम्प रामपुरिया मे दिनांक 30/05/2018 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की गयी तथा दिनांक 19/07/2021 को प्रकरण मे संशोधित प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार करेड़ा से बटवाड़ा प्रस्ताव मंगवाया गया। दौराने वाद प्रतिवादी संख्या 05 मु0 पारसकंवर बेवा प्रेम सिंह राजूपत का देहान्त हो जाने से वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के आधार पर प्रतिवादी संख्या 05 का नाम डिलिट किया गया । प्रतिवादी सं. 1 की ओर से प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी होने के बाद दिनांक 18–07–2022 को अपना जवाबदावा प्रस्तुत किया गया जिसे न्यायालय द्वारा रेकार्ड पर नहीं लिया गया ।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी व प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया । वादी अधिवक्ता ने माफिक विभाजन प्रस्ताव प्रकरण में फाइनल डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया । प्रतिवादी सं. 1 के अधिवक्ता ने उक्त विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति होना पत्रावली की आदेशिका दिनांकित

उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा

18-07-2022 पर अंकित किया किन्तु उनके द्वारा कोई भी आपत्ति लिखित में प्रस्तुत नहीं की गयी है और प्रतिवादी सं. 1 द्वारा जो जवाबदावा प्रस्तुत किया गया है वह भी न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री पारित किये जाने के बाद प्रस्तुत किया गया है जिसे न्यायालय द्वारा रेकार्ड पर नहीं लिया गया है और न ही प्रतिवादी सं. 1 द्वारा उक्त प्रारम्भिक डिक्री को निरस्त कराने हेतु कोई अपील प्रस्तुत की गयी है । विभाजन प्रस्ताव पर भी सभी प्रतिवादीगण तथा वादी के हस्ताक्षर हो रखे हैं जिनके द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव बनाते समय भी कोई आपत्ति दर्ज नहीं करायी गयी है जिससे तहसीलदार करेड़ा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाता है। अतएवः

आदेश

सरहद सबलपुरा पटवार क्षैत्र रामपुरिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा में आराजी नम्बर 6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 , 182 ,183 ,184 ,185 ,187 ,188 ,209 ,210 ,211, 212 ,213 ,214 ,215 ,216 ,601 ,602 कुल किता 24 रकबा 72 बीघा 07 बिस्वा मे वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार विभाजन किया जाकर रिकॉर्ड मे अमल दरामद व नक्शे मे तरमीग किये जाने के आदेश दिये जाते है :–

(1) खातेदार का नाम – वादी सुरेन्द्र सिंह गोदपुत्र मोहन सिंह राजपूत रहन बैंक ऑफ बडौदा करेड़ा के नाम –

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (बीघा बिस्वा)
1.	8/1	01 बिस्वा
2.	10	02 बीघा 15 बिस्वा
3.	11/1	05 बिस्वा
4.	12/1	04 बीघा 17 बिस्वा
5.	12 मी	14 बीघा 15 बिस्वा
6.	13 मी	13 बीघा 09 बिस्वा
7	209	07 बिस्वा
8.	210	05 बिस्वा
9	211	03 बिस्वा
10.	212	03 बीघा 02 बिस्वा
11.	213	01 बीघा 07 बिस्वा
12	214	16 बिस्वा
13	215	02 बिस्वा
योग	कुल किता 13	42 बीघा 04 बिस्वा

(2) खातेदार का नाम– विजेन्द्र सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह राजपूत सा. देह रहन जी.एस.एस. रामपुरिया –

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (बीघा बिस्वा)
1.	182	01 बीघा 03 बिस्वा
2	216	01 बीघा 01 बिस्वा
3	602	17 बिस्वा
योग	कुल किता 03	03 बीघा 01 बिस्वा

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

(3) खातेदार का नाम– महावीर सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह राजपूत सा. देह –

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (बीघा बिस्वा)
1.	182/1	02 बिस्वा
2	183 मी	01 बिस्वा
3	185 मी	10 बिस्वा
4.	187 मी	10 बिस्वा
5.	216/3	01 बीघा 01 बिस्वा
6.	602/2	17 बिस्वा
योग	कुल किता 06	03 बीघा 01 बिस्वा

(4) खातेदार का नाम– बन्ने सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह राजपूत सा. देह –

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (बीघा बिस्वा)
1.	183/2	01 बिस्वा
2	185/2	12 बिस्वा
3	187/2	10 बिस्वा
4.	216/2	01 बीघा 01 बिस्वा
5.	601 मी	14 बिस्वा
6.	602/1	03 बिस्वा
योग	कुल किता 06	03 बीघा 01 बिस्वा

(5) खातेदार का नाम– शैतान सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह राजपूत सा. देह रहन जी.एस.एस. रामपुरिया –

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (बीघा बिस्वा)
1.	183/1	01 बिस्वा
2	185/1	03 बिस्वा
3	187/1	06 बिस्वा
4.	188	13 बिस्वा
5.	216/1	01 बीघा
6.	601/1	18 बिस्वा
योग	कुल किता 06	03 बीघा 01 बिस्वा

(6) खातेदार का नाम– शामलाती खाते में विजेन्द्रसिंह ,महावीरसिंह ,बन्नेसिंह एवं शैतानसिंह पिता प्रेमसिंह राजपूत सा.देह रहन जी.एस.एस. रामपुरिया विजेन्द्रसिंह व शैतानसिंह का हिस्सा –

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (बीघा बिस्वा)
1.	6	03 बीघा

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर कोट

2	7	03 बिस्वा
3	8	04 बीघा 14 बिस्वा
4.	9	01 बीघा 10 बिस्वा
5.	10/1	05 बिस्वा
6	11 मी	01 बीघा 08 बिस्वा
7.	12/2	05 बीघा 13 बिस्वा
8.	13/1	01 बीघा 03 बिस्वा
9	184	03 बिस्वा
योग	कुल किता 09	17 बीघा 19 बिस्वा

विभाजन प्रस्ताव अनुसार डिक्री जारी हो, उक्तानुसार डिक्री जारी करे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 16/12/2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जोगेन्द्र सिंह)
आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,

करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा
जिला भीलवाड़ा (राज0)
मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जा.दी.)

मुकदमा नंबर :– 26/2021 राजस्व वाद

सुरेन्द्रसिंह गोदपुत्र मोहनसिंह राजपूत निवासी सवलपुरा तहसील–करेड़ा , जिला–भीलवाड़ा

–वादी

बनाम

1. विजेन्द्रसिंह आत्मज प्रेमसिंह राजपूत निवासी सवलपुरा तहसील–करेड़ा , जिला–भीलवाड़ा
2. महावीरसिंह पुत्र प्रेमसिंह राजपूत निवासी सवलपुरा तहसील–करेड़ा , जिला–भीलवाड़ा
3. शैतानसिंह पुत्र प्रेमसिंह राजपूत निवासी सवलपुरा तहसील– करेड़ा , जिला–भीलवाड़ा
4. बन्नेसिंह पुत्र प्रेमसिंह राजपूत निवासी सवलपुरा तहसील– करेड़ा , जिला–भीलवाड़ा
5. मु• पारसकंवर बेवा प्रेमसिंह राजपूत निवासी सवलपुरा तहसील– करेड़ा , जिला–भीलवाड़ा (मृतक नाम डिलिट)
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार करेड़ा

–प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 तरेपन रा•टि•ए•
वाद बाबत विभाजन आराजियात

वादी की ओर से श्री विपुल बापना एडवोकेट और प्रतिवादी सं. 1 की ओर से श्री विनोद तिवाड़ी एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 16–12–2024 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री की जाती है कि वादी और इस मद के खर्चे लेखो प्रतिशत रूपयों की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि शून्य को दी जाये।

सरहद सबलपुरा पटवार क्षेत्र रामपुरिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा में आराजी नम्बर 6 ,7 ,8 , 9 ,10 ,11 ,12 ,13 , 182 ,183 ,184 ,185 ,187 ,188 ,209 ,210 ,211, 212 ,213 ,214 ,215 ,216 ,601 ,602 कुल किता 24 रकबा 72 बीघा 07 विस्वा मे वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार विभाजन किया जाकर रिकॉर्ड मे अमल दरामद व नक्शे मे तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है :–

(1) खातेदार का नाम – वादी सुरेन्द्र सिंह गोदपुत्र मोहन सिंह राजपूत रहन बैंक ऑफ बडौदा करेड़ा के नाम –

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकवा (बीघा विस्वा)
1.	8/1	01 विस्वा
2.	10	02 बीघा 15 बिस्वा
3.	11/1	05 बिस्वा
4.	12/1	04 बीघा 17 बिस्वा
5.	12 मी	14 बीघा 15 बिस्वा
6.	13 मी	13 बीघा 09 बिस्वा
7	209	07 बिस्वा
8.	210	05 बिस्वा
9	211	03 बिस्वा
10.	212	03 बीघा 02 बिस्वा
11.	213	01 बीघा 07 बिस्वा
12	214	16 बिस्वा
13	215	02 बिस्वा
योग	कुल किता 13	42 बीघा 04 बिस्वा

उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा

(2) खातेदार का नाम– विजेन्द्र सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह राजपूत सा. देह रहन जी.एस.एस. रामपुरिया –

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (बीघा बिस्वा)
1.	182	01 बीघा 03 बिस्वा
2	216	01 बीघा 01 बिस्वा
3	602	17 बिस्वा
योग	कुल किता 03	03 बीघा 01 बिस्वा

(3) खातेदार का नाम– महावीर सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह राजपूत सा. देह –

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (बीघा बिस्वा)
1.	182/1	02 बिस्वा
2	183 मी	01 बिस्वा
3	185 मी	10 बिस्वा
4.	187 मी	10 बिस्वा
5.	216/3	01 बीघा 01 बिस्वा
6.	602/2	17 बिस्वा
योग	कुल किता 06	03 बीघा 01 बिस्वा

(4) खातेदार का नाम– बन्ने सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह राजपूत सा. देह –

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (बीघा बिस्वा)
1.	183/2	01 बिस्वा
2	185/2	12 बिस्वा
3	187/2	10 बिस्वा
4.	216/2	01 बीघा 01 बिस्वा
5.	601 मी	14 बिस्वा
6.	602/1	03 बिस्वा
योग	कुल किता 06	03 बीघा 01 बिस्वा

(5)खातेदार का नाम– शैतान सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह राजपूत सा. देह रहन जी.एस.एस. रामपुरिया –

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (बीघा बिस्वा)
1.	183/1	01 बिस्वा
2	185/1	03 बिस्वा
3	187/1	06 बिस्वा
4.	188	13 बिस्वा
5.	216/1	01 बीघा
6.	601/1	18 बिस्वा
योग	कुल किता 06	03 बीघा 01 बिस्वा

(6) खातेदार का नाम– शामलाती खाते में विजेन्द्रसिंह ,महावीरसिंह ,बन्नेसिंह एवं शैतानसिंह पिता प्रेमसिंह राजपूत सा.देह रहन जी.एस.एस. रामपुरिया विजेन्द्रसिंह व शैतानसिंह का हिस्सा

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (बीघा बिस्वा)
1.	6	03 बीघा
2	7	03 बिस्वा
3	8	04 बीघा 14 बिस्वा
4.	9	01 बीघा 10 बिस्वा
5.	10/1	05 बिस्वा
6.	11 मी	01 बीघा 08 बिस्वा

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर कोटा

7.	12/2	05 बीघा 13 बिस्वा
8.	13/1	01 बीघा 03 बिस्वा
9	184	03 बिस्वा
योग	कुल किता 09	17 बीघा 19 बिस्वा

उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती कर राजस्व रेकार्ड में अलग खाता कायम कर नाम प्रतिस्थापित किया जावे ।

तहसीलदार करेड़ा को तहरीर जारी कर आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करे । खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करेंगे ।

(जोगेन्द्र सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

यह डिक्री आज दिनांक 16/12/2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मोहर से जारी की गयी ।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)